(8)

समक्ष न्यायालय– सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर

2

I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा.स./2017/4832

नवीन दुग्गड पिता केवलचंद दुग्गड, उम्र करीब 60 वर्ष
निवासी– मेन रोड गोलगंज, छिंदवाड़ा
तहसील व जिला छिंदवाड़ा ..... पुनरीक्षणकर्ता

Adv. Mukul Soni
द्वारा आज दि 5-12-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पे० दि० 20-12-17

विरूद्ध

श्रीमती आशा कोठारी पति स्व.सुभाष कोठारी, उम्र करीब 60 वर्ष
निवासी– गोलगंज, छिंदवाड़ा
तहसील व जिला छिंदवाड़ा ..... उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

राजस्व प्रकरण कमांक 1/अ–74/17–18 मौजा ग्राम सर्रा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा पक्षकार श्रीमती आशा कोठारी विरूद्ध नवीन दुगड़ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा के अंतरिम आदेश दिनांक 21/11/2017 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

Mukul Soni
(Mukul Soni)
Adv
5/12/17

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता छिंदवाड़ा का स्थायी निवासी है, यहां पर उसकी चल–अचल संपत्ति स्थित है। पुनरीक्षणकर्ता की संपत्ति ग्राम सर्रा, ब0नं0 538, प0ह0नं0 14, तहसील व जिला छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा में जमीन खसरा नंबर 1/3 रकबा 0.43 एकड एवं जमीन खसरा नंबर 1/53 रकबा 1.02 एकड़ जमीन धारित की जाती है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा पंजीयत विकय पत्र दिनांक 27/03/2010 के आधार पर विकेता पूरनसिंह ठाकुर से जमीन खसरा नं0 1/53 रकबा 1.02 एकड़ भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया गया था।

(3)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निग0/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4832 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/2/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा के राजस्व प्रकरण कमांक 1/अ–74/17–18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–11–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मौजा ग्राम सर्रा ब.नं. 538 प.ह.नं. 14 तहसी7ल छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 1/5 रकबा 0.405 हैक्टर का त्रुटिपूर्ण नक्शे को पुनरीक्षित किए जाने का आवेदन संहिता की धारा 107 सहपठित धारा 32 के तहत पेश किया गया । उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख को आदेशित किया कि दोनों पक्षों की रजिस्ट्री में वर्णित चतुर्सीमा का दोनों नक्शों से मौके पर जाकर मिलान कर 15 दिवस में विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत करें । तब तक उभयपक्ष आज की स्थिति में यथास्थिति बनाए रखें । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में बैनामा दिनांक 10–5–1985 में संलग्न किए गए नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शे में भिन्नता होने के कारण नक्शा दुरस्त किये जाने का अभिकथन किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि आवेदक एवं उसके तत्समय सहखातेदार के द्वारा अनावेदक को चतुर्सीमा हुलिया के अनुसार संपत्ति का विकय किया गया है । अनावेदक के विकयपत्र में कोई नक्शा संलग्न नहीं है जिसकी पुष्टि उप पंजीयक कार्यालय की टिप्पणी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से होती है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा नक्शे में संपत्ति का हुलिया त्रिभुजाकार बताया जा रहा है जो सही नहीं है अनावेदक के बैनामे में संपत्ति का हुलिया आयताकार लिखा हुआ है । कभी भी त्रिभुजाकार अस्तित्व में नहीं रहा । अनावेदक अपने निजी कथन से त्रिभुजाकार कहना चाह रहे हैं जबकि सारी शासकीय एजेंसियों द्वारा कहा जा रहा है कि नक्शा त्रिभुजाकार नहीं है । अतः अपर कलेक्टर ने आवेदक के आवेदन पर जो जांच के आदेश दिए हैं वे उचित नहीं है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर के आलोच्य आदेश के उपरांत अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा जो रिर्पोट पेश की गई है उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान नक्शे एवं रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की चतुर्सीमा अनुसार ग्राम सर्रा के खसरा नं. 1/5 की वर्तमान नक्शे में जो आयताकार आकृति बनी है वह सही है । उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया । 3/ अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि यह निगरानी प्रीमैच्युर है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है और अंतरिम आदेश से किसी भी पक्ष को कोई हानि नहीं हो रही है । इस न्यायालय को केवल कलेक्टर के आदेश को देखना है । अधीनस्थ न्यायालय ने अभी केवल जांच के आदेश दिए हैं प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 2434, ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 1249, ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 853 एवं न्यायदृष्टांत 2014 एम.पी.एल. जे. वॉल्यूम 1 पेज 198 का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नक्शा दुरस्ती के संबंध में है जो अनावेदक	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निग0/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/4832 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के आवेदन पर प्रांरभ हुआ है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर कलेक्टर ने अधीक्षक, भू–अभिलेख को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश के उपरांत एवं इस पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा जांच कर अपना प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को दिनांक 6–12–17 को प्रस्तुत किया गया है जो उनके अभिलेख के पृष्ठ 159 पर संलग्न है । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा अपने प्रतिवेदन में विवादित स्थल की जांच कर यह अंकित किया गया है कि अनावेदक की संपत्ति मौके पर त्रिभुजाकार स्वरूप की न होकर आयताकार है तथा अनावेदक की संपत्ति का रकबा एवं नक्शो मौके पर आयताकार स्वरूप से मेल खाता है एवं नक्शा त्रुटिपूर्ण नहीं है । चूंकि अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अनावेदक की संपत्ति मौके पर त्रिभुजाकार स्वरूप की न होकर आयताकार है । अतः इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा स्थगन जारी करना संदेह से परे नहीं कहा जा सकता है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि ऐसी स्थिति में प्रकरण को अब अपर कलेक्टर को प्रत्यावर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा अनावेदक के आवेदन पर प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है । (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	